दिनांक–26.05.17 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आहुत आवास योजना की पाक्षिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति:– यथा अभिलेख।

कार्यवाही –

IHSDP

1. IHSDP योजना दिनांक–31.03.2017 को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र GFR-19A में एवं पूर्णता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजा जाना है। तदनुसार संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी (संबंधित नगर निकाय/HPL) से उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने का निदेश दिया गया।
2. योजना की प्रगति की समीक्षोपरान्त निर्माणाधीन सभी आवासीय इकाईयों को पूर्ण करने तथा वैसे आवसीय इकाई जिसमें निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका उसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने एवं उन्हें प्रत्यर्पित करने का निदेश दिया गया।
3. ठाकुरगंज, मोकामा, फारबिसगंज एवं गया में अत्यधिक आवासीय इकाई निर्माणाधीन रहने के कारण इन निकायों को एक महीने के अंदर पूर्ण करने का निदेश दिया गया। साथ ही संबंधित जिला के नोडल पदाधिकारी को सतत् गहन समीक्षा करने का निदेश दिया गया।
4. योजनान्तर्गत सभी पूर्ण एवं निर्माणाधीन आधारभूत संरचना संबंधित कार्यों का विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया एवं जिन परियोजना पर अब तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है वैसे परियोजनाओं में कार्य नहीं करने का निदेश दिया गया।
5. HPL द्वारा कार्यान्वित योजना की समीक्षा की गई एवं योजना में निर्माणाधीन आवासीय इकाईयों को 15 दिनों में पूर्ण करने का निदेश दिया गया। आधारभूत संरचना कार्य यदि प्रारंभ नहीं किया गया है तो उसे प्रारंभ नहीं करने का निदेश दिया गया। HPL के उपस्थित पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि सभी योजना का पूर्णता प्रमाणपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र एक माह के अंदर प्रस्तुत करें।

RAY

1. आवास योजनान्तर्गत पटना फेज–I और फेज–II के लिए 119 और 120 लाभुकों का प्रथम किस्त का भुगतान अगले सप्ताह करने का आश्वासन दिया गया। प्रधान सचिव द्वारा शेष सभी लाभुकों को भी प्रथम किस्त का भुगतान अतिशीघ्र करने का निदेश दिया गया।
2. पटना फेज–III के कार्यान्वयन एजेंसी बुडको द्वारा प्रथम ब्लॉक में प्लास्टर का कार्य समाप्त होने की सूचना दी गई। प्रधान सचिव द्वारा प्रथम ब्लॉक का उद्घाटन 15 अगस्त 2017 को करने का निदेश दिया गया एवं ब्लॉक–03 में कार्य एक महीने के अंदर प्रारंभ करने का निदेश दिया गया। साथ ही नये ब्लॉक

के निर्माण हेतु विस्थापित लाभुकों का फोटो पुराने घर के साथ कार्यालय में संधारित करने का निदेश दिया गया।

3. पटना नगर निगम द्वारा कार्यान्वित पटना फेज–I और फेज–II तथा बुडको द्वारा कार्यान्वित पटना फेज–III की प्रगति काफी असंतोषजनक पाया गया। पटना फेज–I और फेज–II में लंबे समय से कोई

प्रगति नहीं हुआ है। प्रधान सचिव द्वारा अभियान चलाकर लंबित आवासीय इकाईयों में कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया गया। लाभुकों को भूमि Land Possession Certificate प्राप्त कराने हेतु जिला पदाधिकारी से संपर्क करके शिविर आयोजित करवाकर लाभुकों को Land Possession Certificate प्राप्त कराने का निदेश दिया गया।

बुडको को निर्माणाधीन आवासीय इकाईयों को शीघ्र पूर्ण करके लाभुको को आवंटित कराने का निदेश दिया गया ताकि लाभुकों को विश्वास हो सके। अन्य इकाई को प्रारंभ करने के लिए जमीन को खाली करने के लिए लाभुकों का विश्वास प्राप्त करना आवश्यक है।

HFA

1. सबके लिए आवास (शहरी) योजना सभी नगर निकायों में लागू है। 57 नगर निकायों द्वितीय चरण के अन्तर्गत 21,474 आवासीय इकाई की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। इन 57 नगर निकायों में सभी आवासीय इकाई में कार्य प्रारंभ करने का निदेश कई बार दिया जा चुका है। बावजूद इसके अधिकतर नगर निकायों में कार्य प्रगति शून्य है। अधिकतर नगर निकायों द्वारा न तो दैनिक प्रगति प्रतिवेदन भेजा जा रहा है और न ही 7C के साथ लाभुको का संबद्ध करते हुए Geo Tag के लिए मोबाईल का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आवासीय इकाईयों में कार्य प्रारंभ न हो पाने पर नगर निकायों को 15 दिन के अंदर कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया गया। वैसे नगर निकाय जिसमें प्रगति काफी असंतोषजनक है तथा शुन्य है उसे चिन्हित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया जाय।
2. योजनान्तर्गत 31 नगर निकायों में द्वितीय चरण में 25,221 आवासीय ईकाई की स्वीकृति प्रदान की गई है। सभी संबंधित नगर निकायों को द्वितीय चरण में कार्य प्रारम्भ करने का निदेश विभागीय पत्रांक– 1135 दिनांक– 09.05.17 द्वारा दिया जा चुका है। योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रथम किस्त की राशि निकासी कर संबंधित निकायों को शीघ्र विमुक्त कर दिया जाय।
3. योजनान्तर्गत सभी नगर निकायों को सभी स्वीकृत आवासीय ईकाई पर कार्य प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया। यदि किसी आवासीय ईकाई पर कार्य प्रारम्भ कर पाना संभव नहीं हो तो इसे प्रत्यर्पित करने हेतु निदेश विभागीय पत्रांक– 955 दिनांक– 12.04.17 द्वारा दिया गया था। परन्तु अभी निकाय से प्रस्ताव अप्राप्त है। अतः नगर निकायों को सभी स्वीकृत आवासीय इकाई पर कार्य प्रारम्भ करने अथवा इसे प्रत्यर्पित करने हेतु विहित प्रपत्र में प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह0/-8/6/2017
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04/IHSDP-07-16/15 1363 पटना/दिनांक– 13.6.17

प्रतिलिपिः–नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/नगर पंचायत/प्रबंध निदेशक, BUIDCo/उप निदेशक, बुडा/प्रधान सचिव, के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-निदेशक के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/उप महाप्रबंधक, HPL, पटना, e-mail :- hindustanprefabpatna@gmail.com/ प्रभारी, MIS Cell, इंदिरा भवन, पटना/परामर्शी/REPL/STESALIT Systems को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/6/2017
प्रधान सचिव।